प्र.स.:– 01 / 2021
निर्णय दिनांक :– 05.07.2022

. तीजा पुत्री श्रवण
. हाबूडी पुत्री श्रवण
अमरचन्द पुत्र कन्हैयालाल
रामफूल पुत्र कन्हैयालाल
रामखिलाडी पुत्र झाना
रामनिवास पुत्र झाना
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम पटवास पोस्ट बनियाना तहसील लवाण जिला दौसा
मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी नाबालिक जरिए पुजारी

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत करवाये जाने पत्थरगढी

उपस्थितिः– 1. श्री सुरेश गुर्जर एवं अजय तिवाडी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार

जिला कलक्टर एवं ...

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 05.07.2022**

प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार से है कि आराजी ख.न. 476 रकबा 0.29 है0, 477 रकबा 0.06 है0, ख.न. 484 रकबा 0.23 है0, ख.न. 485 रकबा 0.26 है0, ख.न. 486 0.32 है0, ख.न. 488 रकबा 0.24 है0, ख.न. 489 रकबा 0.16 है0 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि ग की खातेदारी भूमि, जो वाके ग्राम मटवास पटवार हल्का बनियाना भू.अभि.नि. बनियाना दौसा मे स्थित है। प्रार्थीगण की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त वर्णित आराजी भूमि पर काश्तकार होकर खातेदारी दर्ज है एवं मौके पर प्रार्थीगण काश्तकार काबिज होकर त होता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी से अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 24 का ी प्रकार का कोई संबंध नही है। प्रार्थीगण की [illegible] वर्णित भूमि से लगती हुई ण संख्या 03 लगायत 14 की भूमि ख.न. 455 रकबा [illegible] है0, ख.न. 471 रकबा 0.29 . 507 रकबा 0.47 है0, ख.न 508 रकबा 0.43 है0 एवं अप्रार्थीगण संख्या 1[illegible] लगायत 19

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.07.21 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

की खातेदारी भूमि ख.न. 492 रकबा 0.45 है0 एवं अप्रार्थीगण संख्या 20 लगायत 24 की खातेदारी भूमि ख.न. 493 रकबा 0.22 है0, ख.न. 494 रकबा 0.30 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 24 की खातेदारी भूमि ख.न. 486 रकबा 0.23 है0 स्थित है। अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 24 का एक मात्र उद्देश्य प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को दबाना है जिसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 03 लगायत 24 को कई बार समझाया की प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि पर उसका कोई लेना देना नहीं है और यदि फिर भी कोई बात हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवा ली जावे। किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 24 की अपनी हरकतो से बाज नहीं आने कारण एवं प्रार्थीगण को उसकी भूमि दबाने की धमकी देने कारण, प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार लवाण के समक्ष आवेदन किया। जिस पर तहसीलदार लवाण ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान हेतु टीम गठित कर, दिनांक 21.07.2021 को मौका पर्चा तैयार कर, सीमाज्ञान कर, सीमाचिन्ह कायम किये गये। प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी नही करवाई गई तो मौके पर शान्ति भंग होकर झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। अतः प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित आराजी का सीमाज्ञान कर, पत्थरगढी कायम करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ.धारा 128 एलआरएक्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने पर मुकदमे को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणो की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई, पश्चात तामील अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 24 अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 24 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही मल मे लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 01 से तलब किया गया जवाब प्राप्त हुआ। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया की ग्राम मटवास पटवार हल्का बनियाना भू.अभि.नि. बनियाना जिला दौसा में [illegible] ख.न. 476 रकबा 0.29 है0, ख.न. 477 रकबा 0.06 है0, ख.न. 484 रकबा 0.23 है0, [illegible] रकबा 0.26 है0, ख.न. 486 रकबा 0.32 है0, ख.न. 488 रकबा 0.24 है0, ख.न. 489 रकबा 0.16 है0 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.07.21 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं लाभान्वित होते आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 24 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि से लगती हुई है, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को दबाना चाहते है एवं आये दिन झगडे पर उतारू रहते है। अप्रार्थीगण की इन्ही हरकतो से बाज आकर, प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार लवाण द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 21.07.2021 को मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार कर करवाया गया। अतः आराजी ख.न. 476 रकबा 0.29 है0, ख.न. 477 रकबा 0.06 है0, ख.न. 484 रकबा 0.23 है0, ख.न. 485 रकबा 0.26 है0, ख.न. 486 रकबा 0.32 है0, ख.न. 488 रकबा 0.24 है0, ख.न. 489 रकबा 0.16 है0 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि, जो वाके ग्राम मटवास पटवार हल्का बनियाना भू.अभि.नि. बनियाना जिला दौसा मे स्थित है का मय टीम गठित कर, पुलिस जाप्ता भिजवाया जाकर, सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाएं कायम फरमाने के आदेश प्रदान का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार (तहसीलदार लवाण) की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लवाण की प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./22/1324 दिनांक 13.06.2022 अनुसार प्रार्थीगण की भूमि ख.न. 476, 477, 484 लगायत 486, 488, 489 का सीमाज्ञान टीम गठित कर दिनांक 21.07.2021 को किया जाकर, सीमाचिन्ह कायम किये गये। उक्त वर्णित ख.न. की पत्थरगढी किये जाने बाबत आदेश प्रदान किये जाते है तो कार्यालय तहसीलदार लवाण ने कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के पश्चात ग्राम मटवास पटवार हल्का बनियाना भू.अभि.नि. बनियाना जिला दौसा मे स्थित आराजी ख.न. 476 रकबा 0.29 है0, ख.न. 477 रकबा 0.06 है0, ख.न. 484 रकबा 0.23 है0, ख.न. 485 रकबा 0.26 है0, ख.न. 486 रकबा 0.32 है0, ख.न. 488 रकबा 0.24 है0, ख.न. 489 रकबा 0.16 है0 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.07.21 16:48:43 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:— 01/2021
निर्णय दिनांक :— 05.07.2022

चले आ रहे है, पर प्राथीगण की खातेदारी भूमि से लगती हुई अप्रार्थीगणं संख्या 03 लगायत 24 की भूमि से सीमा विवाद होने एवं झगडा होने पर, प्रार्थीगण द्वारा दिये गये सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लवाण द्वारा दिनांक 21.07.2021 को टीम गठित कर, प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान कर, सीमाचिन्ह् कायम किये गये। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी भूमि पर, तहसीलदार लवाण द्वारा पत्थरगढी किये जाने बाबत अनापत्ति जाहिर की गई है। अप्रार्थी सं. 03 लगायत 24 बावजूद तामील उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट पत्थरगढी पर आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार लवाण को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी भी अन्य न्यायालय का कोई स्थगन आदेश न हो तो, ग्राम मटवास पटवार हल्का बनियाना भू.अभि.नि. बनियाना जिला दौसा मे स्थित आराजी ख.न. 476 रकबा 0.29 है0, ख.न. 477 रकबा 0.06 है0, ख.न. 484 रकबा 0.23 है0, ख.न. 485 रकबा 0.26 है0, ख.न. 486 रकबा 0.32 है0, ख.न. 488 रकबा 0.24 है0, ख.न. 489 रकबा 0.16 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियो/गिरदावरो की टीम गठित की जाकर, पुलिस इमदाद के साथ पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 05.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.07.21 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

मिथलेश मीना (आर.ए.एस)
उप जिला कलक्टर लवाण
उपखण्ड. अधिकारी
लवाण